

'कापी'

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।


.....

आदेश क्रमांक सा-3-77/70-72

दिनांक सोनीपत 12-7-77

बी० एस० टी० स्कूल, गन्नौर को एक वर्ष के लिये अस्थायी मान्यता स्पेशल स्कूल के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर (जुलाई-77 से) प्रदान की जाती है :- यह मान्यता माध्यमिक स्तर तक दी जाती है :

- 1) शिक्षकों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाये ।
- 2) सभी शिक्षकों का प्रोवीडेंट फण्ड जैसा कि हरियाणा रजुकेशन बोर्ड में निश्चित किया गया है शुरू करे ।
- 3) 6 मास सैलरी जमा करवाये ।
- 4) स्कूल की लाइब्रेरी तथा साइंस के एक्वूपमेंट्स (पुस्तकें आदि) कम पाये गये लाइब्रेरी के लिये कम से कम 2000/- रु० की पुस्तकें तथा साइंस के लिये भी 2000/- रु० का सामान खरीदा जाये ।
- 5) विद्यालय संचालिका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार आफ हरियाणा द्वारा होनी चाहिये ।
- 6) छात्रों से फीस एवं फण्ड आदि हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से ली जाये ।
- 7) यह स्कूल आठवीं कक्षा की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा दिलवायेगें ।



ह०  
जिला शिक्षा अधिकारी  
सोनीपत ।

पृष्ठांकन सम :

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु घोषित है :

- 1) प्रिंसिपल, बी० एस० टी० स्कूल, गन्नौर ।
- 2) निर्देशक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
- 3) उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।



शः प्रोवर  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
सोनीपत ।

PRINCIPAL  
RAUNAQ PUBLIC SCHOOL  
GANOUR-131101 (HR.)

12-7-77